संख्या 154 /XXVII(9)/2011/स्टाम्प–34/2011

प्रेषक,

हेमलता ढौडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक, निबन्धन,
उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त अनुभाग–9 देहरादूनः दिनांक 20 मार्च, 2012

विषयः– **उप–निबन्धक कार्यालय हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के जीर्णोधार एवं विस्तार कार्य के विस्तृत आगणन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–442/म0नि0नि0/भवन/2011–12 दिनांक 02 सितम्बर, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप–निबन्धक कार्यालय, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के जीर्णोधार एवं विस्तार कार्य के आगणन की आकलित धनराशि ₹ 23.31 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा आगणन की आगणित धनराशि ₹ 19.04 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदत्त करते हुये श्री राज्यपाल महोदय ₹ 19.04 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः–

(1) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(2) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(5) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

कमश....2

(7) निर्माण साम्रगी को उपयोग में लाने से पूर्व साम्रगी का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त साम्रगी ही प्रयोग में लायी जाए।

(8) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV– 219 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(9) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(10) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष, 2011–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–07 के मुख्य लेखाशीर्षक–4059– लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–00– आयोजनेत्तर –00, 80–सामान्य, 800–अन्य भवन –03–स्टाम्प एवं पंजीकरण के भवन निर्माण (चालू कार्य) –24– वृहत निर्माण के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त
(आंगणन की प्रति सहित)।

भवदीया

(डा0 हेमलता ढ़ौडियाल)
सचिव।

संख्या–154(1)/XXVII(9)/2011/स्टाम्प–34/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव/अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4– जिलाधिकारी, नैनीताल।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल/देहरादून।
6– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी (मा0 वित्त मंत्री जी) उत्तराखण्ड।
7– अपर, महानिरीक्षक, निबन्धन, (मुख्यालय) उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड/परि0 नैनीताल।
9– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।